(अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1511 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1969 को दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1512 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1513 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1506 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1507 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में बर्फ या आईसक्रीम उद्योग को जोड़ा गया।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1912 की धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1508 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1509 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम का उन हीरा खानों पर विस्तारण किया गया जिनमें बीस या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों।

[*Placed in Library. See* No. LT—1446/69.]

Maharashtra Agro-Industries Development Corporation

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अधीन महाराष्ट्र एग्रो-इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, सभा-पटल पर रखता हूँ।

[*Placed in Library. See* No. LT—1447/69.]

Indian Telegraph (Ninth Amendment) Rules

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORAMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Ninth Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G. S. R. 1079 (English version) in Gazette of India dated the 28th April, 1969 and G. S. R. 1969 (Hindi version) in Gazette of India dated the 19th July, 1969 under sub-section 5 of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT—144 72/69]

Notifications under Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री स० चु० जमीर की ओर से, मैं कोयला खान भविष्य-निधि तथा बोनस योजनाएँ अधिनियम, 1948 को धारा 7 क के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1140 में प्रकाशित हुई थी।